कार्यालय – अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, रांची–2

पत्रांक..............................., दिनांक................................

प्रेषक,

जे0बी0 जौहर
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रांची–2

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन एवं पर्यावरण विभाग,
झारखण्ड सरकार, रांची

विषयः– वित्तीय वर्ष 2008–09 में कार्यान्वित की जाने वाली समेकित वन सुरक्षा योजना (75 : 25) अन्य क्षेत्रीय उपयोजना अंतर्गत कुल **157.948 लाख (एक करोड़, संतावन लाख, चौरांबे हजार, आठ सौ)** रू0 का स्वीकृत्यादेष निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रयोजित समेकित वन सुरक्षा योजना (75 : 25) का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2003–04 से प्रारंभ है। इस योजना अंतर्गत निम्नलिखित कार्य का सम्पादन किया जाता है।

क) वनों को अग्नि से सुरक्षा प्रदान करना

ख) वनों की सुरक्षा के लिए आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़करण

ग) कार्य नियोजन सर्वे एवं सीमांकन

इस योजना अंतर्गत झारखण्ड राज्य के अन्य क्षेत्रीय उपयोजना के अंतर्गत विभिन्न प्रमण्डलों द्वारा उपरोक्त कार्य किया जायेगा, जिससे वनों की अग्नि सुरक्षा, वन भूमि का सर्वे एवं सीमांकन कार्य एवं आधारभूत संरचनाओं के सुदृढ़करण के अंतर्गत आवास एवं संचार व्यवस्था तथा वन पथ में सुधार होगा।

2. इस योजना का स्वरूप वार्षिक है एवं इसका सम्पादन वित्तीय वर्ष 2008–09 में किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए भारत सरकार, वन एवं पर्यावरणम मंत्रालय (वन सुरक्षा प्रमण्डल) के पत्र संख्या 3–18/2007–FPD स्वीकृत्यादेष संख्या 07/2008–09FPD, दिनांक 27.06.2008 द्वारा 393.**00 लाख (तीन करोड़ तिरानबे लाख)** रू0 की स्वीकृति दी गई है तथा इस योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रथम किस्त के रूप में **217.872 लाख (दो करोड़, सतरह लाख सत्तसी हजार दो सौ)** रू0 की स्वीकृति दी गई है। गत वर्ष के WP 2007–08 के अव्यवहारित राषि **18.128 लाख (अठारह लाख, बारह हजार, आठ सौ)** रू0 का समायोजन करते हुए भारत सरकार द्वारा **236.00 लाख (दो करोड़, छत्तीस लाख)** रू0 की राषि विमुक्त की गई है (अनुलग्नक 1)।

3. भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राषि इस योजना अंतर्गत निम्न रूप में व्यय की जायेगी।

	स्वीकृत राषि (रू0 लाख में)		
अन्य क्षेत्रीय उप योजना	केन्द्रांष **75%**	समतुल्य राज्यांष **25%**	कुल
मजदूरी	77.392	25.797	103.189
मशीनरी एवं उपकरण	3.000	1.000	4.000
आपूर्ति एवं सामग्री	25.463	8.488	33.951
विज्ञापन और प्रचार	1.356	0.452	1.808
नई मोटरगाड़ी का क्रय	**11.250**	**3.750**	**15.000**
कुल :–	**118.461**	**39.487**	**157.948**

4. अन्य क्षेत्रीय उपयोजना अंतर्गत प्रस्तावित राषि से किये जाने वाले वन कार्यों का विवरण निम्नवत है जिसकी विवरणी अनुलग्नक–2 पर द्रष्टव्य है।

I **अग्नि सुरक्षा एवं प्रबंधन** :– इस मद के अंतर्गत 2008–09 में 1225 कि.मी. अग्नि रेखा का संधारण 400 अग्नि रक्षाकों का नियोजन 176 ग्राम वन समितियों के माध्यम से वनों की अग्नि से सुरक्षा किया जायेगा।

II **कार्य नियोजना एवं सर्वे सिमांकन कार्य** :– इस मद में 3660 मिट्‌टी के सीमा स्तम्भ का निर्माण, 4508 सीमेन्ट के सीमा स्तम्भ का निर्माण किया जायेगा।

III **वनों की सुरक्षा के लिए आधारभूत संरचनों का सुदृढ़करण** :– इस मद में 16 जीपीएस, 3 मोटरगाड़ियां, का क्रय, 10 कॉजवे एवं कल्वर्ट का निर्माण किया जायेगा। इसके अतिरिक्त इस मद में 5 नाका सेड 9 फायर वाच टावर का निर्माण का कार्य प्रस्तावित है।

5. प्रस्तावित कार्यों का प्रमण्डलवार/कार्यालयवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुलग्नक–2 पर द्रष्टव्य है।

6. इस योजना के लिए बजट मुख्य शीर्ष 2406 वानिकी एवं वन्य जीवन, उप मुख्य शीर्ष 02 पर्यावरणीक वानिकी तथा वन्य जीवन, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना लघु शीर्ष–110–वन्य जीव परिरक्षण समूह शीर्ष–अन्य क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष–10 समेकित वन सुरक्षा योजनान्तर्गत 75%केन्द्रांष निम्न बजट उपबंध स्वीकृत है। (बजट पु0पृ0सं0–के0 प्रा0 यो0 18)

क्र.सं.	प्राथमिक इकाईयां	रू0 (लाख में)
1	विस्तृत शीर्ष –01–वेतन एवं भत्ते 03 मजदूरी	77.340
2.	विस्तृत शीर्ष –03–प्रषसनिक व्यय 17 मशीन एवं उपकरण	4.320
	23 आपूर्ति एवं सामग्री	24.990
	28 विज्ञापन और प्रचार	1.350
3.	विस्तृत शीर्ष –04–मोटरगाड़ियाँ 40 नई मोटरगाड़ी का क्रय	12.000
	कुल :–	120.000

(एक करोड़ बीस लाख रू0 मात्र)

7. इस योजना के लिए बजट मुख्य शीर्ष 2406 वानिकी एवं वन्य जीवन, उप मुख्य शीर्ष 02 पर्यावरणीक वानिकी तथा वन्य जीवन, अन्य क्षेत्रीय उप–योजना, लघु शीर्ष–110–वन्य जीव परिरक्षण –उप शीर्ष–01 समेकित वन सुरक्षा योजनान्तर्गत 25%राज्यांष निम्न बजट उपबंध स्वीकृत है।(बजटपु0पृ0सं0–152)

क्र.सं.	प्राथमिक इकाईयां	रू0 (लाख में)
1	विस्तृत शीर्ष –01–वेतन एवं भत्ते 03 मजदूरी	25.780
2.	विस्तृत शीर्ष –03–प्रषसनिक व्यय 17 मशीन एवं उपकरण	1.440
	23 आपूर्ति एवं सामग्री	8.330
	21 प्रसार/सेमिनार	0.450
3.	विस्तृत शीर्ष –04–मोटरगाड़ियाँ 40 नई मोटरगाड़ी का क्रय	4.000
	कुल :–	40.000

(चालीस लाख रू0 मात्र)

8. वित्तीय वर्ष 2008–09 में कार्यान्वित की जाने वाली योजना हेतु अनुलग्नक–3 पर वार्णित पदाधिकारी अपने–अपने कार्य क्षेत्र के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

9. वित्तीय वर्ष 2007–08 में कार्यान्वित की गई योजना का भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र अनुलग्नक 3 तथा 4 पर द्रष्टव्य है।

10. मोटरगाड़ी एवं सामग्री का क्रय डी0जी0एस0एन0डी0 दर पर किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि वर्ष 2008–09 की प्रस्तावित योजना का स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की कृपा की जाए।

अनुलंग्नक : यथोक्त

आपका विश्वासी,

ह0/–

(जे0बी0 जौहर)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रांची–2

ज्ञापांकः–   दिनांकः–

प्रतिलिपि : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(जे0बी0 जौहर)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, रांची–2